भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2297
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024
सोमवार, 14 श्रावण, 1946 (शक)

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कौशल का उन्नयन तथा आधुनिकीरण

2297. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर: श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक कौशल के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का कौशल विकास, आय में वृद्धि और बाजार पहुंच के संदर्भ में कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) इस योजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता और सृजित बाजार अवसर क्या हैं;

(च) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालयों तथा वित्तीय सेवा विभाग के बीच प्रभावी सहयोग किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) देश के 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशलोन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

(ख) 19 जुलाई 2024 तक पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बुनियादी कौशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) और (घ) पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशलोन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं। इस स्कीम का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। आशा है कि इस स्कीम से कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आजीविका के अवसर सृजित होंगे, उनके कौशल में वृद्धि होगी और उनके काम में आधुनिक उपकरण और तकनीक का समावेश होगा। इसके अलावा, उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र राज्य में नामांकनों की कुल संख्या और सफल पंजीकरणों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) दिनांक 29.07.2024 तक, स्कीम के ऋण घटक के अंतर्गत देश भर में 56,526 आवेदनों को कुल 551.80 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 15,878 आवेदनों को कुल 132.49 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए हैं और सफलतापूर्वक पंजीकृत कुल 14.38 लाख पात्र लाभार्थियों में से 9,05,328 आवेदकों ने विपणन सहायता का विकल्प चुना है।

(च) और (छ) इस स्कीम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ़), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। देश भर में पीएम विश्वकर्मा के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए डीएफ़एस, एमएसडीई और एमओएमएसएमई के सचिवों की सह-अध्यक्षता में नियमित रूप से राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुबंध I

दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2297 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेसिक स्किल ट्रेनिंग के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या (19 जुलाई, 2024 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	47,235
2.	असम	28,169
3.	बिहार	3,966
4.	चंडीगढ़	33
5.	छत्तीसगढ	14,621
6.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0
7.	गोवा	2,464
8.	गुजरात	81,542
9.	हरियाणा	7,414
10.	हिमाचल प्रदेश	1,261
11.	जम्मू और कश्मीर	82,514
12.	झारखंड	8,722
13.	कर्नाटक	1,12,737
14.	केरल	589
15.	लद्दाख	1,032
16.	मध्य प्रदेश	17,316
17.	महाराष्ट्र	37,413
18.	मणिपुर	715
19.	नगालैंड	227
20.	ओडिशा	6,922
21.	पंजाब	1,560
22.	राजस्थान	25,166
23.	तेलंगाना	12,832
24.	त्रिपुरा	3,685
25.	उत्तर प्रदेश	16,477
26.	उत्तराखंड	3,223
	सकल योग	**5,17,835**

अनुबंध II

दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2297 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संदर्भ में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त नामांकन/आवेदनों की संख्या	सफल पंजीकरणों की संख्या
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	6,338	565
महाराष्ट्र	12,03,359	1,11,861

******